



ए.एफ.आर

2026:AHC:54801

सुरक्षित : मार्च 10, 2026

प्रदत्त : मार्च 18, 2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी संख्या 5820/2026

सी/एम, एस.एम. कॉलेज चंदौसी और अन्य

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्त

:

ऋतुवेन्द्र सिंह नागवंशी, सौरभ त्रिपाठी,
वरिष्ठ अधिवक्ता विनायक मिथल

प्रतिवादियों के अधिवक्ता

:

सी.एस.सी., गिरीश कुमार यादव, प्रशांत
माथुर

न्यायालय संख्या - 32

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी

1. वर्तमान मामले में, इस रिट याचिका के शुरुआती अनुच्छेद में पक्षों के बीच पूर्व मुकदमेबाजी का विवरण दिया गया है, हालांकि, इस मामले के न्यायनिर्णयन के उद्देश्य से, प्रासंगिक तथ्य 19.06.2025 के एक पत्र से शुरू होंगे, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के एक विशेष सचिव ने उच्च शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता, एस.एम. कॉलेज, चंदौसी की प्रबंधन समिति द्वारा की गई कथित वित्तीय अनियमितताओं का ऑडिट करने के लिए सूचित किया है। इससे पहले, जिलाधिकारी ने 02.04.2025 को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें संबंधित कॉलेज की भूमि की बिक्री में अनियमितताओं का खुलासा किया गया था। संदर्भ के लिए, उसका प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत है :-

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रेषक,

जिलाधिकारी

सम्भल।

सेवा में,

कुलसचिव,

गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय,

मुरादाबाद।

संख्या:- 339/ओ.एस.डी. दिनांक:- 02 अप्रैल, 2025

विषय:- अध्यक्ष राष्ट्रीय सेवा भारती जनपद सम्भल, विकास नगर बहजोई रोड, चन्दौसी (सम्भल) द्वारा एस.एम. कॉलेज, चन्दौसी, सम्भल के प्रबन्ध तंत्र द्वारा महाविद्यालय की भूमि हस्तान्तरण/विक्रय सम्बन्धी शिकायत के निस्तारण हेतु भू-अभिलेखों की जांच कराने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-गु.ज.वि.वि./प्रशासन/(ए-1)/2025/223-224, दिनांक-27.03.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अध्यक्ष राष्ट्रीय सेवा भारती जनपद सम्भल, विकास नगर बहजोई रोड, चन्दौसी (सम्भल) द्वारा एस.एम. कॉलेज, चन्दौसी, सम्भल के प्रबन्ध तंत्र द्वारा महाविद्यालय की भूमि हस्तान्तरण विक्रय के सम्बन्ध में की गयी शिकायत के निस्तारण हेतु महाविद्यालय के भू-अभिलेखों का परीक्षण/जांच कराकर आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

तत्क्रम में उप जिलाधिकारी चन्दौसी से एस.एम. कॉलेज, चन्दौसी के भू-अभिलेखों की जांच करायी गयी। उप जिलाधिकारी-चन्दौसी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या-03/एस.टी./2025-26, दिनांक-29.03.2025 के माध्यम से अपनी जांच आख्या प्रस्तुत की गयी है, जो निम्नवत है:-

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"उक्त के सम्बन्ध में राजस्व अभिलेखों की जांच की गयी। ग्राम चन्दौसी की सन् 1939 बन्दोबस्त में महाल कपासी खाता 134 गाटा सं. 11 मि. रकबा 1.61 एकड़ आबादी कॉलेज, महाल कपासी खाता सं. 136 गाटा सं. 11 मि. रकबा 1.27 एकड़ आबादी कॉलेज, महाल गुलाबी खाता संख्या। गाटा सं. 11 मि. रकबा 25.43 एकड़ आबादी श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज चन्दौसी, महाल आसमानी खाता सं. 215 गाटा सं. 11 मि. रकबा 1.75 एकड़ आबादी श्याम सुन्दर मैमोरियल चन्दौसी में अंकित है।

वर्तमान एन.जेड.ए. खतौनी के अनुसार उक्त कॉलेज के नाम अंकित नम्बरान 11 मि. रकबा 10.290 है. महाल गुलाबी खाता सं. 1 आबादी श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज चन्दौसी, 11 मि. रकबा 0.749 है. महाल आसमानी खाता सं. 20 आबादी एम.एम. कॉलेज चन्दौसी. 11 मि. रकबा 0.514 है. महाल कपासी खाता सं. 32 आबादी कॉलेज, 11 मि. रकबा 0.652 है. महाल कपासी खाता सं. 31 आबादी कॉलेज, महाल जर्द के खाता सं. 11 के गाटा सं. 170मि./0214 है पर "श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज" भिन्न-भिन्न महालों में एन. जेड.ए. खतौनी में अंकित है।

1939 फ. के अनुसार: -

क्र. सं.	महाल	खाता सं	गाटा सं.	रकबा	अभ्युक्ति
1.	गुलाबी	1	11 मि.	25.43 एकड़	10.290 हे.
2.	आसमानी	215	11 मि.	1.75 एकड़	0.708 है.
3.	कपासी	134	11 मि.	1.61 एकड़	0.652 है.
4.	कपासी	136	11 मि.	1.27 एकड़	0.514 है.
कुल योग			04 किता	30.06 एकड़	12.164 है.

वर्तमान NZA खतौनी के अनुसार: -

क्र. सं.	महाल	खाता सं	गाटा सं.	रकबा	अभ्युक्ति
----------	------	---------	----------	------	-----------

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



1.	गुलाबी	1	11 मि.	10.290 हे.	-
2.	आसमानी	215	11 मि.	0.749 है.	-
3.	कपासी	134	11 मि.	0.652 है.	-
4.	कपासी	136	11 मि.	0.514 है.	-
		11	170	0.214 है.	-
			04 किता	12.419 है.	

महाल गुलाबी की खाता सं. 1 पर निम्नलिखित आदेश अंकित है- 1424फ. 19, आदेश उपजिलाधिकारी महोदय चन्दौसी वाद स. T20171374150432 अन्तर्गत धारा 32/38 यू.पी. आर. सी. 2006 शान्तनु कुमार सचिव श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज सोसाइटी बनाम सरकार ग्राम चन्दौसी के अनुसार ग्राम चन्दौसी की खतौनी एन.जेड.ए. महाल गुलाबी खाता सं. 1 गाटा से 11 मि./10.290हे० एवं महाल जर्द के खाता सं. 11 के गाटा सं. 170मि/0.214हे० पर "श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज चन्दौसी" के स्थान पर रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के नाम परिवर्तन का प्रमाण पत्र संख्या 1923 एवं नवीनीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 030668 के अनुसार "श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज सोसाइटी चन्दौसी" अंकित किया जाये। मालिकान नं 3 पेज नं. 93 क्रमांक- 69 पर दर्ज है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार उपरोक्त प्रश्नगत समस्त भूमियां "श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज चन्दौसी" के नाम अंकित हैं। उपरोक्त भूमिया एन.जेड.ए. की खतौनी में अंकित है, जिसपर भूमि पर उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, परन्तु उक्त उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 की धारा 32/38 के अन्तर्गत "श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज चन्दौसी" के स्थान "श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज सोसाइटी चन्दौसी" का नाम दर्ज कर दिया गया है।

स्पष्टतः उक्त संशोधन से "श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज चन्दौसी" की अनन्य भूमि पर सोसायटी को क्षेत्राधिकार प्रदान कर दिया गया है, जबकि "श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज चन्दौसी" के द्वारा भूमि का सोसायटी के नाम अंतरण किये जाने का कोई विधिक आधार प्राप्त नहीं है। उक्त अंतरण के आधार पर गाटा सं. 170 मि./0.214हे. में पृथक प्रबन्धन के अन्तर्गत

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



लॉ कॉलेज स्थापित कर दिया गया है। सोसायटी की भूमि को सक्षम न्यायालय के आदेश से अथवा सम्बन्धित संस्थान के सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बगैर अंतरण नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अहमदाबाद कसोरा तहसील बिलारी जनपद मुरादाबाद की गाटा सं. 02/3.416हे., 71/0.259हे., 91/0.113हे. को "श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज चन्दौसी" के स्थान पर तहसीलदार न्यायिक बिलारी के आदेश वाद सं T2017135415023669 दिनांक 24.10.2017 के द्वारा "श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज सोसाइटी चन्दौसी" संशोधन किया गया और 4.282हे. भूमि अर्थात् 68 बीघा भूमि को विभिन्न व्यक्तियों के नाम अंतरण कर दिया गया है, जिसके दाखिल खारिज का आदेश तहसीलदार बिलारी जनपद मुरादाबाद वाद सं. T20181354201218/16.05.2018 के द्वारा कर दिया गया है। इस प्रकार कॉलेज के स्वामित्व वाली भूमि को सोसायटी के नाम दर्ज कराकर व्यक्तिगत लोगों को विक्रय कर दिया गया है, इसी प्रकार ग्राम बल्लमपुर तहसील चन्दौसी जनपद सम्भल की गाटा सं. 656/0.765हे. भूमि को "श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज चन्दौसी" के स्थान पर "श्याम सुन्दर मैमोरियल कॉलेज सोसाइटी चन्दौसी" के नाम करा लिया गया है।

स्पष्ट है कि यदि विद्यालय का प्रबन्धन विद्यमान है तो फिर सोसायटी के नाम अंतरण कराने का औचित्य क्या है, और उक्त अन्तरण से प्राप्त धन को किस प्रकार व्यय किया गया है। इस सम्बन्ध में शुद्ध जांच की आवश्यकता है, प्रथम दृष्टया प्रबन्धन/सोसायटी की कार्यप्रणाली संदिग्ध है।"

उक्त कॉलेज की सड़क किनारे दुकाने बनी है, जिसके सम्बन्ध में वर्तमान प्रधानाध्यापक द्वारा बताया गया है, कि उक्त दुकानें किराये पर हैं, जिसका प्रबन्धन, प्रबन्धन/सोसायटी के द्वारा किया जाता है, जिसकी अन्य कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

अस्तु उप जिलाधिकारी-चन्दौसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी उपर्युक्त जांच आख्या दिनांक-29.03.2025 समस्त संलग्नकों सहित संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह. अप.

(डॉ। राजेन्द्र पैसिया)

जिलाधिकारी,

संभल

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त नियंत्रक ने याचिकाकर्ता-2 (उक्त कॉलेज की प्रबंधन समिति के सचिव) को 05.08.2025 को एक पत्र लिखकर विवरण और उसमें उठाए गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर मांगे। संदर्भ के लिए, उठाए गए प्रश्न नीचे दिए गए हैं:-

"प्रेषक,

वित्त नियंत्रक (उ०शि०)

शिक्षा डिग्री आडिट अनुभाग,

उ०प्र०, प्रयागराज।

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव/प्राचार्य

एस०एम० कॉलेज, चन्दौसी

सम्भल ।

पत्रांक: डिग्री आडिट/296/2025-26 दिनांक- 05/08/2025

विषय: महाविद्यालय के विरुद्ध शिकायती बिन्दुओं की विशेष सम्परीक्षा/जाँच किये जाने हेतु साक्ष्य सहित अभिलेख एवं आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1/999262/2025/70-2099/2025 दिनांक

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



19.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके क्रम में शिक्षा निदेशक (उ०शि०), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अविहित पत्रांक डिग्री अर्थ-1/15/2025-26 दिनांक 16.07.2025 द्वारा एस०एम० कॉलेज चन्दौसी, सम्भल में व्याप्त वित्तीय अनियमितता के दृष्टिगत उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-40 के विशेष सम्परीक्षा/जाँच कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

कृपया शासन एवं शिक्षा निदेशक द्वारा दिये गये उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु निम्नानुसार आख्या एवं अभिलेख उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

श्याम सुन्दर मेमोरियल कालेज, चन्दौसी समिति का पंजीकरण कब किया गया तथा अन्तिम नवीनीकरण कब किया गया है? प्रमाणित प्रति।

श्याम सुन्दर मेमोरियल कालेज सोसायटी चन्दौसी का पंजीकरण कब किया गया तथा अन्तिम नवीनीकरण कब किया गया है? प्रमाणित प्रति।

श्याम सुन्दर मेमोरियल कालेज, चन्दौसी समिति के नाम से समस्त भूमि से सम्बन्धित गाटा संख्या एवं खतौनी की प्रमाणित प्रति।

श्याम सुन्दर मेमोरियल कालेज सोसायटी चन्दौसी के नाम से समस्त भूमि से सम्बन्धित गाटा संख्या एवं खतौनी की प्रमाणित प्रति।

श्याम सुन्दर मेमोरियल कालेज, चन्दौसी समिति के द्वारा किस सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किस भूमि का विक्रय किया गया है? विक्रीत भूमि का सम्पूर्ण विवरण निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायें।

क्र० सं०	भूमि का प्रकार	खाता/ गाटा संख्या	विक्रय का दिनांक	विक्रेता का नाम व पता	क्रेता का नाम व पता	विक्रीत भूमि का क्षेत्रफल	विक्रीत भूमि का मूल्य/धन	विक्रीत भूमि से प्राप्त
----------	----------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



						एकड़/ हेक्टेयर में	राशि	धनराशि उपयोग/ विवरण

6. श्याम सुन्दर मेमोरियल कालेज सोसायटी चन्दौसी समिति के द्वारा किस सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किस भूमि का विक्रय किया गया है? विक्रीत भूमि का सम्पूर्ण विवरण निम्न प्रारूप पर उपलब्ध कराये।

क्र० सं०	भूमि का प्रकार	खाता/गाटा संख्या	विक्रय का दिनांक	विक्रेता का नाम व पता	क्रेता का नाम व पता	विक्रीत भूमि का क्षेत्रफल एकड़/हेक्टेयर में	विक्रीत भूमि का मूल्य/धन राशि	विक्रीत भूमि से प्राप्त धनराशि उपयोग/विवरण

7. महाविद्यालय की दुकानें एवं व्यावसायिक गतिविधियां किस समिति के नाम से संचालित हैं, का नाम तथा किराये की धनराशि को किस कोष में जमा किया जा रहा है?

क्र०	दुकानें	व्यवसायिक/अनुबन्ध	संचालन की	प्राप्त किराये	धरोहर की	किराया/धरोहर
------	---------	-------------------	-----------	----------------	----------	--------------

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सं०	गतिविधियां का नाम	की तिथि/ अवधि	तिथि	की धनराशि (मासिक/ वार्षिक)	धनराशि	धनराशि के उपयोग का विवरण

8. उच्चतर शिक्षा आयोग द्वारा चयनित एवं शिक्षा निदेशक द्वारा आसन्न व्यवस्था हेतु जारी किये गये आदेश का अनुपालन/कार्यभार ग्रहण कराने का विवरण निम्न प्रारूप पर साक्ष्यों के साथ उपलब्ध कराया जाय।

शिक्षक का नाम	आसन्न व्यवस्था के आदेश की तिथि	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	अभ्युक्ति

9. उच्चतर शिक्षा आयोग द्वारा चयनित प्राचार्य की सूची एवं उनका कार्यकाल एवं आयोग द्वारा चयनित वर्तमान प्राचार्य से प्रशासनिक कार्य किये जाने की स्थिति।

10. महाविद्यालय में आवास, पुस्तकालय, फर्नीचर, स्टेशनरी, प्रयोगशाला उपकरण की उपलब्धता का विवरण साक्ष्यों के साथ उपलब्ध कराया जाय।

11. महाविद्यालय की समस्त चल-अचल सम्पत्तियों का मदवार लेखांकन सम्बन्धी केन्द्रीय पंजिका की प्रमाणित छायाप्रति ।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कृपया शासन के आदेशानुपालन में उपरोक्त बिन्दुओं पर आख्या एवं अभिलेख साक्ष्यों सहित महाविद्यालय की विशेष सम्प्रेक्षण/जाँच किये जाने हेतु विशेष वाहक के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

ह० अप०

(प्रदीप कुमार)

वित्त नियंत्रक

उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०

प्रयागराज।"

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रभाकर अवस्थी, जिन्हें विद्वान अधिवक्ता श्री आर.एस. नागवंशी द्वारा सहायता प्रदान की गई, ने प्रस्तुत किया कि उक्त संचार का एक संक्षिप्त उत्तर 11.08.2025 को प्रस्तुत किया गया था, जिसके द्वारा कुछ जानकारी मांगी गई थी जैसे कि शिकायत की प्रति, क्योंकि ऑडिट का आदेश शिकायत के आधार पर पारित किया गया था, इसलिए, स्वीकार्य रूप से, वित्त नियंत्रक द्वारा दिनांक 05.08.2025 के पत्र में की गई उपरोक्त विशिष्ट पूछताछ का कोई उत्तर नहीं दिया गया। 11.08.2025 का पत्र नीचे उल्लिखित है :-

"सेवा में,

वित्त नियंत्रक (उ०शि०),

शिक्षा डिग्री ऑडिट अनुभाग,

उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र० प्रयागराज।

विषय: पत्रांक सं० डिग्री ऑडिट/296/2025-26, दिनांक 05.08.2025 के सम्बन्ध में।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



महोदय,

आपका पत्र पत्रांक डिग्री ऑडिट/296/2025-26, दिनांक 05.08.2025 डाक द्वारा आज दिनांक 11.08.2025 प्राप्त हुआ, जिसमें आपके द्वारा उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-I/999262/2025/70-2099/2025, दिनांक 19.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने हेतु सम्बोधित किया है तथा इसी क्रम में शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज के अविहित पत्रांक डिग्री अर्थ-1/15/2025-26, दिनांक 16.07.2025 द्वारा एस०एम० कॉलेज, चन्दौसी, सम्भल में व्याप्त वितीय अनियमितताओं के अन्तर्गत उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 40 के विशेष सम्परीक्षा/जाँच कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

आपको अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी को उक्त दोनों वर्णित पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा इस विषय में महाविद्यालय के विरुद्ध शिकायतकर्ता का शिकायती पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया। आपके पत्र में यह दर्शाया गया है कि महाविद्यालय में व्याप्त वितीय अनियमितताओं के दृष्टिगत उक्त आख्या चाही गई है। आपके पत्र में यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार की वितीय अनियमितताएँ महाविद्यालय में व्याप्त होना शिकायतकर्ता द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है तथा क्या उसका साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, वह हमें अप्राप्त है, जिसकी प्राप्ति के बिना जवाबदेही सम्भव नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के तहत निम्नलिखित दस्तावेज साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराये जाने की कृपा करें, जिससे कि महाविद्यालय द्वारा अपनी सुस्पष्ट एवं तर्कसंगत आख्या प्रस्तुत की जा सके:-

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत के पत्र की प्रति. जोकि इस जाँच का मूल आधार है।

शासन के पत्र संख्या-I/999262/2025/70-2099/2025, दिनांक 19.06.2025 की प्रति।

शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज के अविहित पत्रांक डिग्री अर्थ-1/15/2025-26, दिनांक 16.07.2025 की प्रति

महाविद्यालय में व्याप्त वितीय अनियमितताओं सम्बन्धित सूची।

उक्त समस्त दस्तावेज महाविद्यालय को 05 दिवस के अन्दर प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे की विधिपूर्ण कार्यवाही की जा सकें तथा उक्त दस्तावेज प्राप्त होने तक कोई भी प्रतिकूल कार्यवाही नैसर्गिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित न की जाए।

सादर

भवदीय

ह० अप०

शान्तनु कुमार

सचिव"

4. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जब याचिकाकर्ता प्रश्नों का उत्तर देने में विफल रहे, तो वित्त नियंत्रक ने 19.08.2025 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ताओं से पुनः संपर्क किया और फिर से जानकारी मांगी तथा एक व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए कहा ताकि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 40 (6) अर्थात 'संबद्ध और संबद्ध कॉलेजों का निरीक्षण, आदि' के तहत उक्त कॉलेज का निरीक्षण किया जा सके।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने उक्त पत्र का उत्तर 21.08.2025 को दिया था, हालाँकि, इसे सरसरी तौर पर देखने से ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि आवश्यक जानकारी प्रदान करने और ऑडिट निरीक्षण के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के बजाय, प्रति-प्रश्न किए गए थे। संदर्भ के लिए, उक्त पत्र की सामग्री नीचे उल्लिखित है: -

सेवा में,

मा० मन्त्री महोदय, उच्च शिक्षा, उ०प्र० शासन लखनऊ।

श्रीमान प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ।

श्रीमान विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2 उ०प्र० शासन लखनऊ।

श्रीमान शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।

संदर्भ: पत्रांक आडिट डिग्री/379/2025-26 दिनांक 19.08.2025 वित्त नियन्त्रक उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज।

महोदय,

उक्त पत्र का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक विहीन शिकायत श्रीमती मेघा गुप्ता, सभासद वार्ड नं० 3 चन्दौसी द्वारा मा० उच्च शिक्षा मन्त्री महोदय लखनऊ को प्रेषित की गयी। जिस पर उनके द्वारा सामान्य शिकायत निस्तारण प्रक्रिया के तहत जाँच कराये जाने हेतु निर्देश श्रीमान प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा महोदय को पारित किये गये। जिस पर श्रीमान शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा प्रयागराज द्वारा दिनांक 05.06.2025 के उ०प्र० शासन के अज्ञात पत्र द्वारा अधोहस्ताक्षरी के महा विद्यालय की किसी अज्ञात जाँच जो जिलाधिकारी महोदय सम्भल द्वारा सम्पादित की जानी प्रदर्शित की गयी है उसको आधार बनाकर अधोहस्ताक्षरी के महा विद्यालय का उ०प्र० राज्य विश्व विद्यालय अधिनियम की धारा 40 खण्ड-2 के प्रावधानों के

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विपरीत सुनवाई का कोई अवसर अधोहस्ताक्षरी के महाविद्यालय का आडिट कराये जाने का आदेश पारित किया गया है। जो अधोहस्ताक्षरी के महाविद्यालय के महाविद्यालय के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश है जिसका न्यायिक दृष्टि से पुनः अवलोकन किया जाना अति आवश्यक है। क्योंकि उक्त प्रकरण में केवल शिकायतकर्ता द्वारा आरोप अंकित किये गये हैं। जिन आरोपों को ना तो शपथ पत्र से समर्थित भी नहीं किया गया है और आरोप में वर्णित बिन्दु के समर्थन में क्या साक्ष्य शासन व आप महोदयगण के समक्ष प्रस्तुत किये गये उसका भी कोई विवरण अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा यहाँ पर जो आरोप शिकायतकर्ता के द्वारा अध्यारोपित किये जा रहे हैं, उसकी आन्तरिक पृष्ठभूमि में वास्तविक तथ्यों का अवलोकन किया जाना न्यायिक दृष्टि से अति आवश्यक है। जिस पर ध्यान न देकर कतई गलत रूप से उक्त विशेष आडिट का आदेश पारित किया गया है। महोदय निम्न बिन्दु जोकि उक्त शिकायत पत्र पर अधोहस्ताक्षरी की प्राथमिक आपत्ति है उसके आलोक में उक्त एक पक्षीय आडिट के निर्णय दिनांक 19.06.2025 निर्णय सं० आई/999262/2025/70-2099/137/2025 के द्वारा जो निर्णय विशेष आडिट कराये जाने का पारित किया गया है उस पर शासन के स्तर से पुनः विचार किया जाना एवं उ०प्र० राज्य विश्व विद्यालय अधिनियम की धारा 40 खण्ड-2 के प्रावधानों के तहत किसी प्रकार की अनियमितता के सम्बन्ध में यदि शासन को कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर विचार करने से पूर्व शासन को विधि अनुसार अधोहस्ताक्षरी को नोटिस जारी करके उसका पक्ष की सुनवाई की जानी आवश्यक प्रावधान है। जिससे स्पष्ट है कि शासन द्वारा उक्त विशेष आडिट का आदेश पारित करने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी को सुनवाई का कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया गया है, केवल रंजिशन और दबाव बनाने की मनोवृत्ति व भ्रष्टाचारी द्वारा स्वयं व अपने भाई आकाश गुप्ता जिसके द्वारा महाविद्यालय में लाखों रुपये की वोकेशनल कोर्स की प्रैक्टिकल प्रश्नावलीयों के माध्यम से छात्र-छात्राओं से धन उगाही की गयी उनको संरक्षण देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है जोकि न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है।

प्रार्थना

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अतः माननीय महोदयगण से प्रार्थना है कि एक पक्षीय आडिट के निर्णय दिनांक 19.06.2025 निर्णय सं० आई/999262/2025/70-2099/137/2025 के द्वारा जो निर्णय विशेष आडिट कराये जाने का पारित किया गया है उस पर शासन के स्तर से निरस्त कर उ०प्र० राज्य विश्व विद्यालय अधिनियम की धारा 40 खण्ड-2 के प्रावधानों के तहत किसी प्रकार की अनियमितता के सम्बन्ध में यदि शासन को कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर विचार करने से पूर्व शासन को विधि अनुसार अधोहस्ताक्षरी को नोटिस जारी करके उसका पक्ष की सुनवाई की जानी आवश्यक प्रावधान का अनुपालन करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करने की कृपा करें।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विशेष प्रार्थना

जब तक उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण न हो तब तक उक्त आडिट की कार्यवाही को स्थगित करने के निर्देश श्रीमान वित्त नियन्त्रक, उच्च शिक्षा महोदय, प्रयागराज को जारी करने की कृपा करें।"

"सेवा में,

1. मा० मन्त्री महोदय, उच्च शिक्षा, उ०प्र० शासन लखनऊ
2. श्रीमान प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ
3. श्रीमान विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2 उ०प्र० शासन लखनऊ
4. श्रीमान शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज

संदर्भ: पत्रांक डिग्री आडिट /379/2025-26 दिनांक 19.08.2025 वित्त नियन्त्रक उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज।

महोदय,

निवेदन है कि हमारे पूर्व प्रत्यावेदन पत्र दिनांक 21.08.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें निवेदन किया गया था कि :-

उक्त पत्र का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक बिहीन शिकायत श्रीमती मेघा गुप्ता, सभासद वार्ड नं० 3 चन्दौसी द्वारा मा० उच्च शिक्षा मन्त्री महोदय लखनऊ को प्रेषित की गयी। जिस पर उनके द्वारा सामान्य शिकायत निस्तारण प्रक्रिया के तहत जाँच कराये जाने हेतु

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



निर्देश श्रीमान प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा महोदय को पारित किये गये। जिस पर श्रीमान शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा प्रयागराज द्वारा दिनांक 05.06.2025 के उ०प्र० शासन के अज्ञात पत्र द्वारा अधोहस्ताक्षरी के महाविद्यालय की किसी अज्ञात जाँच जो मा० जिलाधिकारी महोदय सम्भल द्वारा सम्पादित की जानी प्रदर्शित की गयी है उसको आधार बनाकर अधोहस्ताक्षरी के महाविद्यालय का उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 40 खण्ड-2 के प्रावधानों के विपरीत सुनवाई का कोई अवसर अधोहस्ताक्षरी के महाविद्यालय का आडिट कराये जाने का आदेश पारित किया गया है। जो अधोहस्ताक्षरी के महाविद्यालय के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश है जिसका न्यायिक दृष्टि से पुनः अवलोकन किया जाता अति आवश्यक है। क्योंकि उक्त प्रकरण में केवल शिकायतकर्ता द्वारा आरोप अंकित किये गये हैं। जिन आरोपों को ना तो शपथ पत्र से समर्थित भी नहीं किया गया है और आरोप में वर्णित बिन्दु के समर्थन में क्या साक्ष्य शासन व आप महोदयगण के समक्ष प्रस्तुत किये गये उसका भी कोई विवरण अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा यहाँ पर जो आरोप शिकायतकर्ता के द्वारा अध्यारोपित किये जा रहे हैं, उसकी आन्तरिक पृष्ठभूमि में वास्तविक तथ्यों का अवलोकन किया जाना न्यायिक दृष्टि से अति आवश्यक है। जिस पर ध्यान न देकर कतई गलत रूप से उक्त विशेष आडिट का आदेश पारित किया गया है।

जिसको निरस्त करके अधोहस्ताक्षरी को अपना पक्ष रखने, सुनवाई कराने, जबाब देही व स्पष्टीकरण का अवसर न्यायहित में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदान किया जाना अति आवश्यक है।

महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु

1. यह कि उक्त प्रकरण में जो शिकायत मेधा गुप्ता सभासद द्वारा की गयी है वह साक्ष्य विहीन व शपथपत्र विहीन है।

2. यह कि मेधा गुप्ता का कोई सम्बन्ध महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति से नहीं है और न ही यह उसकी सदस्य है तथा इसके अतिरिक्त मेधा गुप्ता न तो महाविद्यालय की शिक्षिका या शिक्षणेतर कर्मचारियों में से है। अथवा महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं से नहीं है।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. यह कि उ0प्र0 सरकार के शासनादेश सं० 13/1/97-का-1/1997 दिनांक 09 मई 1997 एवं उसके अनुपालन में जारी पत्र दिनांक 29.01.2024 कार्मिक अनुभाग-1 के पत्र सं० 1/2024/63/47-का-1-2024-13(1)/1997 के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश जारी किये गये हैं कि किसी भी मा० सांसद व विधायकों के अतिरिक्त केवल निकाय के अध्यक्षों को विशिष्ट व्यक्तियों में परिगणित किया जायेगा तथा किसी अन्य शिकायतकर्ता के शिकायत पत्र को शिकायतकर्ता से शपथ पत्र प्राप्त करते हुए शिकायतकर्ता से समुचित साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जायेगी तत्पश्चात ही निर्णय लिया जायेगा। परन्तु उक्त प्रकरण में कोई भी ना तो साक्ष्य लिया गया ना ही साक्ष्य संकलित करने का प्रयास किया गया ना ही शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत को शपथ पत्र के माध्यम से पुष्ट किया गया। इस कारण उक्त शिकायत आईन आफ लॉ कार्यवाही हेतु संधारणीय भी नहीं थी। जिस पर एक पक्षीय निर्णय लेकर शासन ने न्यायिक व शासनादेशों की अवहेलना की है।

4. यह कि अधोहस्ताक्षरी महा विद्यालय को कोई भी पत्र शासन द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत के बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जवाबदेही का उक्त निर्णय से पूर्व नहीं जारी किया गया। समस्त कार्यवाही एक पक्षीय है।

5. यह कि मा० जिलाधिकारी महोदय, सम्भल की जिस अज्ञात रिपोर्ट का वर्णन निदेशक के पत्र में किया जा रहा है, जोकि तथाकथित श्री जी०पी० यादव अध्यक्ष, राष्ट्रीय सेवा भारती, चन्दौसी जनपद सम्भल की फर्जी रिपोर्ट के आधार पर शिकायत की गई, वह जाँच रिपोर्ट स्वतः ही मा० उच्च न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा में दी गयी है। क्योंकि मा० उच्च न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी सम्भल को याचिका सं० 11956/25 में न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा में दी गयी है। क्योंकि मा० उच्च न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी सम्भल को याचिका सं० 11956/25 में दिनांक 15.05.2025 को उनके द्वारा किसी भी प्रकार की जाँच नोटिस दिनांक 04.04.2025 के अनुक्रम में कहने से निषिद्ध किया था। जिसके पश्चात भी यदि कोई जाँच रिपोर्ट प्रेषित की गयी है तो वह पूर्णतया विधिक दृष्टि से शून्य है और केवल जिलाधिकारी महोदय, सम्भल द्वारा दबाव बनाने की मनोवृत्ति से प्रेषित की गयी है जिसका संज्ञान बिना स्पष्टीकरण के लिया जाना विधिक दृष्टि से अनुचित है।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. यह कि उक्त प्रकरण में जिन बिन्दुओं पर आडिट करने हेतु आदेश पारित किये गये हैं, उन्हीं बिन्दुओं पर पूर्व में वर्ष 2015-16 से 2018-19 में आडिट जोकि उच्च शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय उ०प्र० प्रयागराज द्वारा दिनांक 14.06.2021 को समस्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए अपने पत्र पत्रांक डिग्री-आडिट/79/2021-22 दिनांक 14.06.2021 के द्वारा समस्त आपत्तियाँ को विलुप्त करते हुए आडिट आख्या स्वीकार की है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि महा विद्यालय में किसी प्रकार का कोई वित्तीय अनियमिता स्थापित नहीं है।

7. यह कि तत्पश्चात पुनः अग्रिम वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक का आडिट के उपरान्त दिनांक 17.06.2025 को पत्रांक डिग्री आडिट/228-230 के द्वारा समस्त आडिट आपत्तियाँ निस्तारित करते हुए आडिट आख्या स्वीकार की गयी है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि महाविद्यालय में किसी प्रकार का कोई वित्तीय अनियमिता स्थापित नहीं है।

8. यह कि शासन द्वारा उक्त दोनों आडिट आख्याओं को नजरअंदाज करके अविधिक रूप से जो विशेष आडिट का आदेश पारित किया है। वह न्यायिक दृष्टि से अनुचित है क्योंकि विधि का स्थापित नियम है कि जब एक प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सक्षम विधि का संज्ञान लेकर विधि अनुसार आख्या उपरान्त निर्णय पारित कर दिया जाता है तो उनको अपने निर्णय का पुनः अवलोकन करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त प्रकरण में शिक्षा निदेशक द्वारा विधितयः जब एक बार आडिट आख्यायें स्वीकार कर ली गयी तो फिर उनमें कोई भी अधिकार पुनः आडिट कराये जाने का विधिक दृष्टि से प्राप्त नहीं है।

9. यह कि उक्त प्रकरण में जो विशेष आडिट का आदेश मात्र शिकायत के आधार पर जारी किया गया है वह पूर्णतया महा विद्यालय के प्रबन्ध तन्त्र की गरिमा व प्रतिष्ठा को धूमिल करने की रणनीति के तहत प्राप्त किया गया है क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा उक्त आडिट के आदेश की एक प्रति जिस पर पत्रांक सं० व दिनांक भी अंकित नहीं था, वह अधोहस्ताक्षरी को पत्र प्राप्त करने से पूर्व ही सोशल मीडिया, फेसबुक व स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दी गयी थीं। जिससे स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता का मकसद केवल अपने व अपने भाई आकाश गुप्ता जो कि महाविद्यालय के वोकेशनल कोर्स की प्रैक्टिकल पत्रावलियों के निर्माण में लाखों रूप से की धन उगाही का अभियुक्त है उसको संरक्षण देना और प्रबन्ध तन्त्र द्वारा की जा रही विधिक कार्यवाही में दबाव बनाकर व्यवधान उत्पन्न करना है।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. यह कि यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि महाविद्यालय का प्रबन्ध तन्त्र किसी प्रकार की ऑडिट को विरोध नहीं करता परन्तु जो अविधिक प्रक्रिया उक्त प्रकरण में अपनाई गयी है वह पूर्णतया अनियमित एवं दोषपूर्ण है जिसका हम पूर्ण विधिक रूप से विरोध करते हैं और उक्त निर्णय को निरस्त करने का निवेदन करते हैं।

प्रार्थना

अतः माननीय महोदयगण से प्रार्थना है कि अधोहस्ताक्षरी के प्रत्यावेदन दिनांक 21.08.2025 एवं उक्त अनुस्मारक प्रत्यावेदन का संज्ञान लेते हुए एक पक्षीय आडिट के निर्णय दिनांक 19.06.2025 निर्णय सं० आई/999262/2025/70-2099/137/2025 के द्वारा जो निर्णय विशेष आडिट कराये जाने का पारित किया गया है उस पर शासन के स्तर से निरस्त कर 30प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 40 खण्ड-2 के प्रावधानों के तहत किसी प्रकार की अनियमिता के सम्बन्ध में यदि शासन को कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर विचार करने से पूर्व शासन को विधि अनुसार अधोहस्ताक्षरी को नोटिस जारी करके उसका पक्ष की सुनवाई की जानी आवश्यक प्रावधान का अनुपालन करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करने की कृपा करें।

विशेष प्रार्थना

जब तक उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण न हो तब तक उक्त आडिट की कार्यवाही को स्थगित करने के निर्देश श्रीमान वित्त नियन्त्रक, उच्च शिक्षा महोदय, प्रयागराज को जारी करने की कृपा करें।

भवदीय (ह० अप०)

शान्तनु कुमार

सचिव एस०एम० कॉलेज चन्दौसी

Secretary S.M. College CHANDAUSI"

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. उपरोक्त के अनुसरण में, वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 25.08.2025 के आदेश द्वारा एक ऑडिट टीम का गठन किया गया था। प्रतिवादियों ने निर्देशों के माध्यम से रिकॉर्ड पर यह बात लाई है कि याचिकाकर्ताओं ने सहयोग नहीं किया और ऑडिट दल को दिनांक 02.09.2025 को निरीक्षण भी नहीं करने दिया गया, बल्कि, कोई अंतरिम आदेश प्रभावी न होने के बावजूद, याचिकाकर्ताओं द्वारा अवमानना की धमकी दी गई। ऑडिट निरीक्षण पर 3 सदस्यीय समिति की दिनांक 10.09.2025 की रिपोर्ट नीचे उद्धृत है:-

एस०एम० कालेज, चन्दौसी की विशेष सम्परीक्षा/जाँच आख्या

शासन के पत्र संख्या- I/999262/2025/70-2099/137/2025 दिनांक 19.06.2025 एवं निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्रांक-डिग्री आडिट/409/2025-26 दिनांक 25.08.2025 एवं पत्रांक-डिग्री आडिट/440/2025-26 दिनांक 01.09.2025 के द्वारा गठित विशेष सम्प्रेक्षण दल दिनांक 02.09.2025 को पूर्वाह्न 10:25 बजे सम्प्रेक्षण हेतु एस०एम० कालेज, चन्दौसी सम्बल में उपस्थित हुए। सम्प्रेक्षण दल की विशेष सम्परीक्षा/जाँच आख्या निम्नवत् है :-

1. शासन के पत्र संख्या- I/999262/2025/70-2099/2025 दिनांक 19.06.2025 के द्वारा निदेशालय के अविहित पत्रांक-डिग्री अर्थ-1/15/2025-26 दिनांक 16.07.2025 के अनुपालन में निदेशालय के पत्रांक-डिग्री आडिट/295/2025-26 दिनांक 05.08.2025 के अनुपालन में एस०एम० कालेज चन्दौसी, सम्बल की विशेष सम्परीक्षण/जाँच किये जाने के सम्बन्ध में महाविद्यालय के प्रबन्धक/प्राचार्य से 11 बिन्दुओं पर वांछित सूचना/अभिलेखों की मांग की गयी थी (छायाप्रति संलग्न)।

2. महाविद्यालय के सचिव ने निदेशालय के पत्रांक-डिग्री आडिट/295/2025-26 दिनांक 05.08.2025 के क्रम में अपने पत्रांक SMC/MC/297/2025-26 दिनांक 11.08.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा 04 बिन्दुओं पर साक्ष्यों सहित दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त के क्रम में निदेशक, उच्च शिक्षा के अनुमोदनोपरान्त निदेशालय के पत्रांक-डिग्री

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आडिट/379/2025-26 दिनांक 19.08.2025 द्वारा 04 बिन्दुओं पर वांछित अभिलेख उपलब्ध कराते हुए एक सप्ताह के अन्दर वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर आख्या एवं अभिलेख साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं (छायाप्रति संलग्न), किन्तु प्रबन्धक/प्राचार्य द्वारा वांछित सूचना/अभिलेख अद्यतन सम्प्रेक्षण दल को अप्राप्त है।

3. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या पत्रांक-डिग्री आडिट/409/2025-26 दिनांक 25.08.2025 द्वारा एस०एम० कालेज, चन्दौसी सम्भल की विशेष सम्परीक्षा जाँच हेतु सम्प्रेक्षण दल का गठन करते हुए दिनांक 02.09.2025 से 04.09.2025 तक सम्परीक्षा किये जाने के सम्बन्ध में पत्रांक-डिग्री आडिट/440/2025-26 दिनांक 01.09.2025 द्वारा पर्यवेक्षण अधिकारी को नामित कर पत्रांक-डिग्री अर्थ-1/2057/2025-26 दिनांक 01.09.2025 द्वारा महाविद्यालय को सम्प्रेक्षण दल को विशेष सम्प्रेक्षण / जाँच में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिये गये (छायाप्रति संलग्न)।

4. सम्प्रेक्षण दल के सभी सदस्य महाविद्यालय में सम्परीक्षण की निर्धारित दिनांक 02.09.2025 को उपस्थित होकर सम्प्रेक्षण से सम्बन्धित वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 02.09.2025 को आडिट मेमो-01 दिये जाने के सम्बन्ध में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ० हेमन्त कुमार के महाविद्यालय में तत्समय उपस्थित न होने के कारण उनके दूरभाष संख्या-7830337303 पर सम्प्रेक्षण दल के वरिष्ठ लेखा परीक्षक एवं पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा सम्प्रेक्षण कार्य से सम्बन्धित आडिट मेमो के सम्बन्ध में वार्ता के क्रम में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वह दिनांक 02.09.2025 को अवकाश पर हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य के प्रभार की स्थिति के सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई स्पष्ट रूप से पर्यवेक्षण अधिकारी को अवगत नहीं कराया गया, जिससे सम्प्रेक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा था, इसकी सूचना पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दूरभाष से एवं आडिट मेमो-02 दिनांक 02.09.2025 द्वारा शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज एवं वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज तथा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली को उक्त परिस्थितियों से अवगत कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया गया (छायाप्रति संलग्न)।

5. डॉ० जाकिर हुसैन उपाध्यक्ष-प्रबन्ध समिति, एस०एम० कालेज, चन्दौसी ने शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज को सम्बोधित पत्र SMC/375/2025-26 दिनांक

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



02.09.2025 को सम्प्रेक्षण दल को प्राप्त कराया, जिसमें यह उल्लेख है कि उपरोक्त विषयक में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका रिट C-30051/2025 दिनांक 01.09.2025 को मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सुनवाई कर प्रकरण का संज्ञान लिया जा चुका है तथा आपके अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित प्रकरण में उत्तर देने हेतु काउन्टर के लिए समय मांगा है, जिसमें मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उनको चार सप्ताह का समय जवाब काउन्टर दाखिल करने हेतु दिया गया है तथा अग्रिम तिथि 12.11.2024 नियत है (मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.09.2025 की प्रति संलग्न है)।

6. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज एवं पर्यवेक्षण अधिकारी के द्वारा प्रभारी प्राचार्य, डॉ० नरेन्द्र कुमार शर्मा से दूरभाष पर वार्ता के क्रम में प्रभारी प्राचार्य सायं 6:10 बजे महाविद्यालय में उपस्थित हुए। सम्परीक्षा दल द्वारा दिये गये आडिट मेमो-01 दिनांक 02.09.2025 की प्राप्ति पर डॉ० नरेन्द्र कुमार शर्मा, इंचार्ज प्राचार्य/एसो० प्रो०-गणित विभाग, एस०एम० कालेज, चन्दौसी, सम्बल द्वारा श्री अनुज चौहान एस०आई०, सम्बल, पी०एस० चन्दौसी की उपस्थिति में यह टिप्पणी अंकित करते हुए "आज दिनांक 02.09.2025 को समय लगभग 10:25 प्रातः पर महाविद्यालय में सम्प्रेक्षणगण तीन सदस्यीयगण श्री तेज बहादुर सिंह, श्री प्रदीप सिंह, श्री विनय मंगलानी उपस्थित हुए, परन्तु उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट संख्या 30051/2025 विचाराधीन है, जिस कारण सम्प्रेक्षण दल को सम्प्रेक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती/नहीं कराया जा सकता, आज महाविद्यालय में कार्यवाहक प्राचार्य डॉ० हेमन्त कुमार अवकाश पर हैं, उक्त रिट याचिका में अग्रिम सुनवाई तिथि 12.11.2025 है।" प्राचार्य एवं प्रबन्धक की आडिट मेमो-01 की मूल प्रति प्राप्त किया। सम्परीक्षा दल के पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज महोदय को सम्पूर्ण स्थिति से आडिट मेमो-03 दिनांक 02.09.2025 से अवगत कराते हुए उनके द्वारा दूरभाष पर दिये गये निर्देश के अनुपालन में सम्प्रेक्षण दल महाविद्यालय की विशेष सम्परीक्षा/जाँच किये बिना मुख्यालय वापस आ गया।

अभियुक्ति

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



शासन के पत्र संख्या-I/999262/2025/70-2099/137/2025 दिनांक 19.06.2025 एवं निदेशालय के अविहित पत्रांक डिग्री अर्थ-1/15/2025-26 दिनांक 16.07.2025 एवं निदेशालय के डिग्री आडिट के पत्रांक 409/2025-26 दिनांक 25.08.2025 एवं उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा, 40 (1) एवं (6) के अन्तर्गत की गई। उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा, 40 (1) एवं (6) निम्नवत् प्रावधान है:-

40(1) "राज्य सरकार को किसी भी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय जिसमें, प्रयोगशालाएँ तथा उसके उपकरण सम्मिलित हैं और उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं, अथवा किये गये शिक्षण एवं अन्य कार्य का भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह निदेशित करें, निरीक्षण कराने अथवा उस महाविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्त के सम्बन्ध में किसी भी मामले के सम्बन्ध में जाँच कराने का अधिकार प्राप्त होगा।

40(6) " राज्य सरकार किसी भी समय उस निरीक्षण या जाँच के सम्बन्ध में सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति अथवा प्राचार्य से किसी भी सूचना को मांग सकेगी"

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एस०एम० कालेज, चन्दौसी सम्भल की विशेष सम्परीक्षा/जाँच हेतु उपरोक्त प्राविधान के आलोक में महाविद्यालय से इस कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एवं सम्प्रेक्षण दल द्वारा महाविद्यालय में उपस्थित होकर वांछित सूचना अभिलेख/साक्ष्य सहित मांगी गयी, किन्तु महाविद्यालय प्रशासन द्वारा विशेष सम्परीक्षा/जाँच से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/साक्ष्य सम्प्रेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण एस०एम० कालेज, चन्दौसी सम्भल की विशेष सम्परीक्षा/जाँच सम्पादित नहीं की जा सकी।

आख्या सेवा में प्रेषित है।

(विनय मंगलानी) (प्रदीप सिंह) (तेज बहादुर सिंह)

लेखाकार (उ०शि०) वरिष्ठ लेखा परीक्षक वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/

(उ०शि०) पर्यवेक्षण अधिकारी (उ०शि०)"

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. यह रिकॉर्ड पर लाया गया कि संबंधित कॉलेज की प्रबंध समिति ने 05.10.2025 को एक नया चुनाव आयोजित किया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता-2 को सचिव चुना गया और उसके कागजात विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्यालय में भेजे गए, जिन्हें बाद में अस्वीकार कर दिया गया।

8. उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ने दिनांक 30.10.2025 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया, जिसके द्वारा राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 58(1) के तहत नोटिस जारी किया गया। इसकी सामग्री नीचे दी गई है :-

उ०प्र०

उच्च शिक्षा अनुभाग-2,

सं०-1/1128633/2025/70-2099/208/2025 लखनऊ: दिनांक-30.10.2025

कार्यालय ज्ञाप

कुलपति, गुरु जम्भेश्वर वि०वि०, मुरादाबाद के पत्र सं०-गु०ज०वि०वि०/प्रशासन/(ए-1)/2025/1074-1079 दिनांक 24.05.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया कि अध्यक्ष, राष्ट्रीय सेवा भारती के पत्र दिनांक 25.03.2025 में एस०एग० कालेज, चन्दौसी की प्रबन्ध समिति द्वारा महाविद्यालय की सम्पत्ति को खुरद-बुर्द करने, महाविद्यालय परिसर को निजी आय के स्रोत के रूप प्रयोग करने एवं प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने सम्बन्धी प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु जिलाधिकारी, सम्भल को विश्वविद्यालय के पत्रांक गु०ज०वि०वि०/प्रशासन (ए-1)/2025/223-224 दिनांक 27.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया।

2- उक्त के क्रम में जिलाधिकारी, सम्भल के पत्र सं०-339/ओ०एस०डी० दिनांक 2 अप्रैल, 2025 की भू-अभिलेखों की जांच सम्बन्धी रिपोर्ट में महाविद्यालय का टाइटल परिवर्तित करने एवं कालेज की भूमि एस०एम० लॉ कालेज (स्व-वित्त पोषित) को हस्तान्तरित किये जाने एवं 4.282 है० भूमि व्यक्तियों को हस्तान्तरण किये जाने का उल्लेख है। साथ ही प्रबंध तंत्र के

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विरुद्ध शैक्षणिक, प्रशासनिक वित्तीय अनियमितताओं की नित्य प्राप्त हो रही शिकायतों के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय में की जा रही सुनवाई में प्रबन्ध समिति के असहयोगात्मक रवैये के दृष्टिगत उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-58 के अन्तर्गत महाविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने हेतु प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी।

3- जिलाधिकारी, सम्भल के पत्र दिनांक 02.04.2025 द्वारा कुलसचिव, गुरु जम्भेश्वर वि०वि०, मुरादाबाद को प्रेषित जांच आख्या में उल्लिखित है कि महाविद्यालय के स्वामित्व वाली भूमि को सोसायटी के नाम दर्ज कराकर व्यक्तिगत लोगों को विक्रय कर दिया गया है। जिलाधिकारी, सम्भल के उक्त पत्र में यह भी उल्लिखित है कि यदि महाविद्यालय का प्रबन्धन विद्यमान है तो फिर सोसायटी के नाम अंतरण किये जाने का औचित्य क्या है और उक्त अंतरण से प्राप्त धन को किस प्रकार व्यय किया गया है, के संबंध में वृहद जांच की आवश्यकता है तथा प्रथम दृष्टया प्रबन्धतंत्र/सोसाइटी की कार्यप्रणाली को संदिग्ध माना है।

4- इसी प्रकार एस०एम० कालेज, चन्दौसी की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध प्राप्त हो रही वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत के संबंध में निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.05.2025 द्वारा शासन से उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-40 के अन्तर्गत महाविद्यालय में विशेष ऑडिट किये जाने की अनुमति मांगी गयी। तत्क्रम में शासन के पत्र सं०-आई/999262/2025/70-2099/137/2025 दिनांक 19.06.2025 द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र० प्रयागराज को महाविद्यालय के विशेष आडिट की अनुमति प्रदान की गयी।

निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज के पत्र सं० डिग्री अर्थ-1/2109/2025-26 दिनांक 03.09.2025 (छायाप्रति संलग्न) एवं पत्र सं० डिग्री अर्थ - 1/2225/2025-26 यह दस्तावेज़ एस०एम० कालेज, चन्दौसी के विरुद्ध चल रही विशेष सम्परीक्षा (Audit) और हाईकोर्ट में लंबित याचिका से संबंधित रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पृष्ठ पर अंकित संपूर्ण पाठ का निष्कर्षण दिया गया है:

दिनांक 11.09.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया कि विशेष आडिट हेतु वित्त नियंत्रक उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा महाविद्यालय प्रबंध तंत्र से पत्र सं०-डिग्री

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आडिट/295/2025-26 दिनांक 05.08.2025 एवं पत्र सं०-डिग्री आडिट/379/2025-26 दिनांक 19.08.2025 द्वारा कतिपय अभिलेखों की मांग की गयी परन्तु महाविद्यालय प्रबंधतंत्र द्वारा वांछित अभिलेखों को उपलब्ध नहीं कराया गया। तदोपरांत निदेशालय के पत्र सं०-डिग्री आडिट/409-415/2025-26 दिनांक 25.08.2025 द्वारा दिनांक 02.09.2025 से 04.09.2025 तक महाविद्यालय के स्थलीय जाँच का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। विशेष आडिट टीम की आख्या दिनांक 11.09.2025 के अनुसार दिनांक 02.09.2025 को निर्धारित तिथि पर स्थलीय जाँच हेतु विशेष आडिट टीम महाविद्यालय में उपस्थित हुई परन्तु महाविद्यालय प्रशासन द्वारा विशेष सम्प्रेक्षण जाँच से संबंधित कोई भी अभिलेख/साक्ष्य सम्प्रेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण प्रश्नगत महाविद्यालय की विशेष सम्प्रेक्षण जाँच संपादित नहीं की जा सकी तथा महाविद्यालय प्रशासन के पत्र दिनांक 02.09.2025 द्वारा प्रकरण मा० न्यायालय से आच्छादित होने के कारणवश जांच में असमर्थता व्यक्त की गयी।

महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र द्वारा विशेष सम्प्रेक्षण जांच के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं०-रिट सी-30051/2025 प्रबंध तंत्र एस०एम० डिग्री कालेज बनाम 30प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी है, जिसमें दिनांक 01.09.2025 को सुनवाई में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश का संगत अंश निम्नवत है:-

"...5. Let him file counter affidavit within four weeks.

6. Rejoinder affidavit, if any, may be filed within two weeks thereafter. 7.

List this case on 12.11.2025"

6- प्रश्नगत प्रकरण में निदेशालय द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि एस०एम० कालेज, चन्दौसी की प्रबंध समिति द्वारा विशेष सम्प्रेक्षण में अनवरत निदेशालय द्वारा प्रेषित विभिन्न पत्रों के क्रम में अभिलेख प्रस्तुत न करना, जो राज्य वि०वि० अधिनियम-1973 की धारा-40(1) से 40 (6) अंतर्गत बाध्यकारी है तथा समिति की स्थलीय जांच अवधि में सहयोग प्रदान न करते हुए मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-सी0/30051/2025 में पारित आदेश आदेश-01/09/2025 के आलोक में प्रकरण मा० न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जांच से मना किया जाना समीचीन नहीं है क्योंकि उक्त याचिका में मा० न्यायालय द्वारा विशेष सम्प्रेक्षण जांच किये जाने में किसी प्रकार की रोक स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है।

7- उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी, सम्भल के कार्यालय आदेश दिनांक 04.04.2025 द्वारा महाविद्यालय की प्रबंध समिति के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता, संस्था की संपत्तियों को बेचने एवं उनका दुरुपयोग करने आदि संबंधी शिकायतों की जांच हेतु अपर जिलाधिकारी, सम्भल की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया, परंतु महाविद्यालय प्रबंध समिति द्वारा उक्त जांच के विरुद्ध "भा. चूंकि महाविद्यालय एक अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय है, जो उ०प्र० राज्य वि०वि० अधिनियम-1973 की धाराओं से संचालित होती है, अतः जिलाधिकारी, सम्भल को महाविद्यालय की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, के आधार पर मा० न्यायालय में रिट याचिका संख्या-11356/2025 प्रबंध सामंत एस०एम० कालेज चंदौसी एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी है, जिसमें सुनवाई के पश्चात मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2025 का संगत अंश निम्नवत हैं:-

"....श्री आर.पी. तिवारी, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निर्देश रिकॉर्ड पर रखे। उन निर्देशों के आधार पर वे कानून का ऐसा कोई प्रावधान नहीं बता सके जो जिला मजिस्ट्रेट को कॉलेज के कामकाज की जांच करने का अधिकार देता हो।

चूंकि मौजूदा विवाद इस कोर्ट के 'कृष्णानंद सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य' (2022 (6) एडीजे 585) मामले में दिए गए फैसले के दायरे में आता है, इसलिए आक्षेपित आदेश कानूनी रूप से मान्य नहीं है। 04.04.2025 का आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है।

तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।"

8- जिलाधिकारी, संभल के पत्र दिनांक 04.04.2025 द्वारा महाविद्यालय के भूमि अवैध रूप से क्रय-विक्रय की जांच को महाविद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा मा० न्यायालय में रिट याचिका संख्या-11356/2025 प्रबंध समिति एस०एम० कालेज चंदौसी एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में इस आधार पर चुनौती दी गयी कि चूंकि महाविद्यालय एक अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय है, जो उ०प्र० राज्य वि०वि० अधिनियम-1973 की धाराओं से

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संचालित होती है, अतः जिलाधिकारी, संभल को महाविद्यालय के गतिविधियों में हस्तक्षेप ना करने दिया जाये। इसी प्रकार जब शासन द्वारा महाविद्यालय के विरुद्ध प्राप्त वित्तीय अनियमितता की शिकायत के क्रम में उ०प्र० राज्य वि०वि० अधिनियम-1973 की धारा-40 के अन्तर्गत विशेष सम्प्रेक्षण जांच की अनुमति प्रदान की गयी तो भी महाविद्यालय प्रबंधनतंत्र द्वारा पुनः मा० न्यायालय में एक अन्य वाद योजित करते हुए निदेशालय द्वारा गठित विशेष ऑडिट टीम की जांच ऑडिट नहीं करने दिया गया, जबकि मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 01.09.2025 को हुई सुनवाई में उक्त ऑडिट पर रोक लगाये जाने के कोई आदेश नहीं दिये गये हैं।

इस प्रकार स्पष्ट हो रहा है कि महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र द्वारा निरंतर शासकीय आदेशों की अवहेलना करते हुए स्वेच्छाचारी एवं मनमाना आचरण अपनाया जा रहा है तथा मा० न्यायालय में वाद योजित कर शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। महाविद्यालय प्रबंधतंत्र द्वारा महाविद्यालय में वित्तीय अनियमितता की शिकायत के क्रम में जिलाधिकारी, संभल द्वारा करायी जा रही जांच एवं शासन द्वारा कराये जा रहे विशेष सम्प्रेक्षण जांच के विरुद्ध मा० न्यायालय में पृथक् पृथक् वाद योजित किया गया है, जिससे महाविद्यालय प्रबंधतंत्र की कार्यशैली प्रथमदृष्ट्या संदिग्ध प्रतीत हो रही है।

9- प्रश्नगत प्रकरण में कुलपति, गुरु जम्भेश्वर वि०वि०, मुरादाबाद के उक्त पत्र दिनांक 24.05.2025 एवं निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज के उक्त पत्र दिनांक 03.09.2025 व पत्र दिनांक 11.09.2025 द्वारा महाविद्यालय की प्रबंध समिति को भंगकर उ०प्र० विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-57 एवं 58 के अन्तर्गत महाविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने हेतु प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है।

10- अतः प्रश्नगत प्रकरण में उक्त उल्लिखित तथ्यों के आलोक में श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 57 में निहित व्यवस्था के अनुसार

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



एस०एम० कालेज, चंदौसी, संभल के प्रबंध तंत्र को प्रथमदृष्टया दोषी पाते हुए इस आशय की नोटिस निर्गत किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं कि महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा 1 के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों न की जाय, श्री राज्यपाल प्रबन्धतंत्र एस०एम० कालेज, चंदौसी, संभल को यह आदेश देते हैं कि उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रमाणित सुसंगत साक्ष्यों एवं अभिलेखों सहित शासन को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि उक्त अवधि में प्रबन्धतंत्र का उत्तर शासन को प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि प्रबन्धतंत्र को इस विषय में कुछ नहीं कहना है और उनके विरुद्ध अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक यथोक्त

अध्यक्ष/सचिव,

प्रबंध समिति,

एस०एम० कालेज,

चंदौसी, संभल

द्वारा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।"

9. याचिकाकर्ता-2 (कॉलेज प्रबंधक) ने 30.10.2025 के कार्यालय ज्ञापन का उत्तर 10.11.2025 और 15.11.2025 के पत्रों द्वारा प्रस्तुत किया। इसका प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है :-

"नोटिस जारी करने के आधारों के संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि 2008 में सोसाइटी का नाम 'श्याम सुंदर मेमोरियल कॉलेज' से बदलकर 'श्याम सुंदर मेमोरियल कॉलेज सोसाइटी' कर दिया गया था, इसलिए जिस भूमि पर 1946 में संस्थान स्थापित किया गया था, उसका नामांतरण 10.01.2017 को उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड, 2005 की धारा 32/38 के तहत उप-जिलाधिकारी की अनुमति से किया गया था। अब, सोसाइटी का नाम बदलकर 'श्याम सुंदर मेमोरियल कॉलेज सोसाइटी' करने की अनुमति मिल गई है, क्योंकि पहले सोसाइटी का नाम

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



केवल 'श्याम सुंदर मेमोरियल कॉलेज' था। संदर्भ के लिए, 10.01.2017 का आदेश इसके साथ संलग्न किया जा रहा है और इसे इस पत्र के **अनुलग्नक संख्या-डी** के रूप में चिह्नित किया गया है।

उक्त आदेश में 02.03.2017 को पुनः संशोधन किया गया था। 02.03.2017 को संशोधित आदेश की छायाप्रति इसके साथ संलग्न है और इसे **अनुलग्नक संख्या-ई** के रूप में चिह्नित किया गया है।

स्वतः संज्ञान लेते हुए, उप-जिलाधिकारी, चन्दौसी ने 21.05.2025 के एकपक्षीय आदेश द्वारा 10.01.2017 के आदेश की समीक्षा की। 21.05.2025 के आदेश की छायाप्रति इसके साथ संलग्न है और इसे इस पत्र के **अनुलग्नक संख्या-एफ** के रूप में चिह्नित किया गया है।

उपरोक्त से व्यथित होकर, पुनरीक्षण संख्या 2724/2025 (कंप्यूटरीकृत संख्या R20251374002724) दायर की गई थी, जिसमें 07.07.2025 को अंतरिम आदेश पारित किए गए थे। पुनरीक्षण संख्या 2724/2025 में पारित 07.07.2025 के अंतरिम आदेश की छायाप्रति इसके साथ संलग्न है और इसे इस पत्र के साथ **अनुलग्नक संख्या-जी** के रूप में चिह्नित किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए, 10.01.2017 का आदेश अभी भी रिकॉर्ड में है और वैध बना हुआ है।

संभल के जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में एक तथ्य दर्ज है, जिसके आधार पर 30.10.2025 को नोटिस भेजा गया कि चंदौसी का श्याम सुंदर मेमोरियल लॉ कॉलेज, गाटा संख्या 170 मिन जुमला, जिसका क्षेत्रफल 0.214 हेक्टेयर है, पर निर्मित किया गया है। उक्त तथ्य पूरी तरह से गलत है क्योंकि श्याम सुंदर मेमोरियल लॉ कॉलेज, चंदौसी का निर्माण गाटा संख्या 11 मिन जुमला पर किया गया है, जो श्यामसुंदर मेमोरियल कॉलेज सोसाइटी, चंदौसी द्वारा उक्त संस्थान को तीस वर्षों के लिए पट्टे पर दिया गया है। इस संबंध में, अधोहस्ताक्षरी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उप-जिलाधिकारी, चंदौसी द्वारा 12.08.2025 को प्रदान की गई जानकारी को रिकॉर्ड पर लाएंगे। उक्त रिपोर्ट दिनांक 12.08.2025 की छायाप्रति इसके साथ संलग्न है और इसे इस पत्र के **अनुलग्नक संख्या-एच** के रूप में चिह्नित किया गया है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उपरोक्त के संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि ज़िलाधिकारी, संभल की दिनांक 02.04.2025 की गलत रिपोर्ट के आधार पर, दिनांक 30.10.2025 को नोटिस जारी किया गया था। अतः, लॉ कॉलेज के सचिव ने अपने दिनांक 12.08.2025 के पत्र द्वारा ज़िलाधिकारी, संभल को दिनांक 02.04.2025 की रिपोर्ट देते समय हुई गलती को सुधारने के लिए आवेदन दिया। 12.08.2025 की पत्र की छायाप्रति इसके साथ संलग्न है और इसे **अनुलग्नक संख्या-आई** के रूप में चिह्नित किया गया है।

इसी तरह का अनुरोध 12.08.2025 को ही मुरादाबाद के कमिश्नर से किया गया था। 12.08.2025 के अनुरोध की छायाप्रति इस पत्र के साथ **संलग्नक संख्या-जे** के रूप में दाखिल की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को संभल के जिलाधिकारी की रिपोर्ट में मौजूद गलती के बारे में पहले ही सूचित किया जा चुका है, जिसे सुधारा जाना चाहिए। उक्त पत्र, दिनांक 12.08.2025 की छायाप्रति इसके साथ संलग्न है और इसे **अनुलग्नक संख्या-के** के रूप में चिह्नित किया गया है।

यह तथ्य कि संभल के ज़िलाधिकारी द्वारा तैयार की गई 02.04.2025 की रिपोर्ट में सुधार के लिए उचित अनुरोध किया गया था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया और ज़िलाधिकारी ने उसे ठीक नहीं किया है।

आपके संज्ञान में यह तथ्य भी लाना है कि संभल के ज़िलाधिकारी की 02.04.2025 की रिपोर्ट इंगित करती है कि मुरादाबाद ज़िले के अहमदाबाद कसौरा स्थित भूमि, जिसका क्षेत्रफल 02/0.41 हेक्टेयर, 71/0.259 हेक्टेयर, 91/0.1132 हेक्टेयर है, को सोसाइटी द्वारा कॉलेज के नाम से सोसाइटी के नाम हस्तांतरित करने के बाद विभिन्न व्यक्तियों को बेच दिया गया है। वास्तविक स्थिति यह है कि नाम परिवर्तन के बाद, वह भूमि जो पहले 'श्याम सुंदर मेमोरियल कॉलेज' (जो 1926 में एक सोसाइटी थी) के नाम पर थी, उसे तहसीलदार न्यायिक, बिलारी के आदेश (वाद संख्या T-2017135415023669, दिनांक 24-10-2017) के अनुसार सोसाइटी के नाम पर नामांतरित कर दिया गया है। इसलिए, उक्त तथ्य भी आदेश में गलत तरीके से दर्ज है। उक्त तथ्य बल्लांपुर तहसील की भूमि पर भी स्पष्ट रूप से लागू होता है, इसलिए इस संबंध

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



में जिलाधिकारी, संभल की दिनांक 02.04.2025 की रिपोर्ट गलत है। दस्तावेजी साक्ष्य की छायाप्रति इसके साथ संलग्न की जा रही है और इसे इस पत्र के साथ **अनुलग्नक संख्या-एल** के रूप में चिह्नित किया गया है।"

10. उपरोक्त परिस्थितियों में, पूर्व रिपोर्ट के आधार पर, उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव द्वारा दिनांक 14.01.2026 का आक्षेपित कार्यालय जापन पारित किया गया, जिसके द्वारा अधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया। संदर्भ के लिए, आक्षेपित कार्यालय जापन का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत है:-

"13- इस प्रकार स्पष्ट है कि महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र द्वारा निरंतर शासकीय आदेशों की अवहेलना करते हुए स्वेच्छाचारी एवं मनमाना आचरण अपनाया गया तथा मा० न्यायालय में वाद योजित कर शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। महाविद्यालय प्रबंधतंत्र द्वारा महाविद्यालय में वित्तीय अनियमितता की शिकायत एवं भूमि संबंधी जांच के संबंध में शासन द्वारा कराये जा रहे विशेष सम्प्रेक्षण जांच के विरुद्ध मा० न्यायालय में वाद योजित करते हुए विशेष सम्प्रेक्षण जांच कराये जाने से मना कर दिया गया, जबकि मा० न्यायालय द्वारा उक्त वाद में स्पेशल ऑडिट के विरुद्ध कोई स्थगनादेश पारित नहीं किया गया है।

इसी प्रकार महाविद्यालय प्रबंधतंत्र के विरुद्ध डॉ० प्रवीण कुमार द्वारा उ०प्र० पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग, लखनऊ में योजित वाद में मा० आयोग द्वारा 04 तिथियाँ सुनवाई हेतु निर्धारित की गयीं, परंतु महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र के सचिव प्राचार्य कभी भी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। जिसके कारण मा० आयोग द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-58 के अन्तर्गत महाविद्यालय में प्राधिकृत नियंत्रक नामित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

14- अतः उक्त उल्लिखित तथ्यों एवं महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के संबंध में निदेशक, उच्च शिक्षा के उक्त पत्र दिनांक 03.09.2025, 11.09.2025 तथा कुलपति, गुरु जम्भेश्वर वि०वि०, मुरादाबाद के उक्त पत्र दिनांक 24.05.2025 व उ०प्र० पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग, लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक 24.08.2025 द्वारा की गयी संस्तुति के

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



क्रम में सम्यक परीक्षणोपरान्त राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि एस०एम० कालेज, चन्दौसी, संभल में उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-58 (1) के अंतर्गत प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किये जाने की अपरिहार्य परिस्थितियों विद्यमान है।

15- उल्लेखनीय है कि उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा 58 (1) के अन्तर्गत निम्नवत व्यवस्था निर्धारित है:-

"58. प्राधिकृत नियंत्रक (1) यदि राज्य सरकार का, धारा 57 के अधीन प्रबन्धतन्त्र द्वारा दाखिल स्पष्टीकरण यदि कोई पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो जाता है कि उस धारा में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है तो वह आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति को एतस्मिन् पश्चात "प्राधिकृत नियंत्रक" के रूप में निर्दिष्ट दो वर्ष से अधिक की ऐसी अवधि के लिए जिसे विनिर्दिष्ट किया जाये, महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र का और प्रबन्धतन्त्र को पृथक् करते हुए उस उसकी सम्पत्ति का अधिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है और जब कभी प्राधिकृत नियंत्रक इस प्रकार प्रबन्धतन्त्र का अधिग्रहण करता है तो उसे, केवल ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन, जिन्हें राज्य सरकार अधिरोपित कर सकेगी, उस महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र एवं उसकी सम्पत्ति के सम्बन्ध में उन सभी शक्तियों एवं प्राधिकार को प्राप्त करेगा जिसे प्रबन्धतन्त्र ने उस दशा में प्राप्त किया होता जब महाविद्यालय एवं उसकी सम्पत्ति को इस उपधारा के अधीन अधिग्रहीत न किया गया होता:

परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि महाविद्यालय के समुचित प्रबन्धतन्त्र एवं उसकी सम्पत्ति को सुनिश्चित बनाये रखने के उद्देश्य से ऐसा करना समीचीन है, तो वह समय-समय पर उस अवधि के लिए, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, आदेश के प्रवर्तन को विस्तारित कर सकेगा जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, लेकिन इस प्रकार के आदेश के प्रवर्तन की अवधि जिसमें इस उपधारा के अधीन प्रारम्भिक आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि को सम्मिलित किया गया है, (पांच वर्ष) से अधिक नहीं होगी:

परन्तु अग्रेतर यह कि यदि पांच वर्ष की उक्त अवधि के समाप्त होने पर, उस महाविद्यालय का कोई विधिपूर्ण ढंग से गठित किया गया प्रबन्धतन्त्र नहीं है तो प्राधिकृत नियंत्रक उस रूप में कार्य करता रहेगा जब तक कि राज्य सरकार का यह समाधान न हो जाये कि प्रबन्धतन्त्र का विधिपूर्ण ढंग से गठन किया गया है:

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



परन्तु यह भी कि राज्य सरकार, किसी भी समय, इस उपधारा के अधीन किये गये आदेश का प्रतिसंहरण कर सकेगी।"

16- उपरोक्त प्रस्तर-14 में हुये समाधान के क्रम में एवं उक्त प्रस्तर-15 पर उल्लिखित विधिक प्रावधानों के आलोक में उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-58 (1) के अंतर्गत श्री राज्यपाल एस०एम० कॉलेज, चंदौसी, संभल की प्रबन्ध समिति को भंग करते हुए आगामी 01 वर्ष अथवा किसी वैध प्रबंध समिति के गठित होकर अनुमोदित होने (जो भी पहले हो) तक छात्र हित, शिक्षा हित एवं महाविद्यालय हित में जिलाधिकारी, संभल को प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाता है।

17- प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-58 (1) अन्तर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग कर दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा तथा महाविद्यालय में व्याप्त कमियों/अनियमितताओं को दूर किये जाने तथा महाविद्यालय में पठन पाठन के वातावरण हेतु प्रभावी प्रयास किया जायेगा। राज्य सरकार को धारा-58 (1) के अनुसार उक्त आदेश का प्रतिसंहरण/आदेश प्रयास किया जायेगा। राज्य सरकार को धारा-58(1) के अनुसार उक्त आदेश का प्रतिसंहरण/आदेश को परिवर्तित करने का पूर्ण अधिकार होगा।"

11. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि संबंधित कॉलेज के नए विश्वविद्यालय, यानी गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद से संबद्ध होने के बाद से ही सारी समस्याएं शुरू हुई हैं। प्रतिवादी व्यवस्थित तरीके से उक्त कॉलेज के प्रबंधन को परेशान करना चाहते हैं, जो बड़ी संख्या में छात्रों की देखभाल कर रहा है। उनके अवैध कृत्यों के कारण, याचिकाकर्ता-कॉलेज विधि कॉलेज चलाने में असमर्थ है। सभी गतिविधियाँ केवल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि प्रिंसिपल को उन प्रोफेसरों के साथ जुड़ने की अनुमति मिले, जो गंभीर आरोपों में अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना कर चुके हैं।

12. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के अध्याय X (वार्षिक रिपोर्ट और खाते) के साथ-साथ अध्याय XI (डिग्री कॉलेज के विनियम) के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख किया है, जो राज्य सरकार को धारा 57 के तहत

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



नोटिस जारी करने और धारा 58 के तहत अधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करते हैं। संदर्भ के लिए, अधिनियम के अध्याय XI (डिग्री कॉलेजों के नियमन) की धारा 56, 57 और 58 नीचे उद्धृत की गई हैं :-

“56. परिभाषाएँ.-इस अध्याय में, जब तक संदर्भ अन्यथा न कहे-

(अ) किसी संबद्ध या सहयोगी कॉलेज के संबंध में 'संपत्ति' में वे सभी चल और अचल संपत्तियां शामिल हैं जो कॉलेज की हैं या कॉलेज के लाभ के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से दी गई हैं। इनमें ज़मीन, इमारतें (हॉस्टल सहित), निर्माण कार्य, लाइब्रेरी, लैब, उपकरण, फर्नीचर, स्टेशनरी, स्टोर, गाड़ियां और अन्य वाहन (यदि कोई हों), और कॉलेज से संबंधित अन्य चीजें, हाथ में नकद, बैंक में नकद, निवेश, और बुक डेट्स (बकाया रकम) तथा ऐसी संपत्ति से उत्पन्न अन्य सभी अधिकार और हित शामिल हैं जो कॉलेज के स्वामित्व, कब्जे, अधिकार या नियंत्रण में हैं। साथ ही, इससे संबंधित सभी अकाउंट बुक्स, रजिस्टर और अन्य सभी प्रकार के दस्तावेज़ भी इसमें शामिल माने जाएंगे; और इसमें कॉलेज के सभी मौजूदा उधार, देनदारियां और किसी भी प्रकार की बाध्यताएं भी शामिल मानी जाएंगी;

(ब) 'वेतन' का तात्पर्य एक शिक्षक या अन्य कर्मचारी को देय कुल परिलब्धियों से है, जिसमें महंगाई भत्ता या कोई अन्य भत्ता शामिल है, और जिसमें से अनुमत कटौतियाँ की गई हों।

57. नोटिस जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति - यदि राज्य सरकार को किसी संबद्ध या सहयोगी कॉलेज (राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से संचालित कॉलेज के अलावा) के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त होती है -

(i) कि उसके प्रबंधन ने कॉलेज के शिक्षकों या अन्य कर्मचारियों का वेतन, उस महीने के बाद वाले महीने की बीस तारीख तक, जिसके लिए या जिसके किसी भी हिस्से के लिए यह देय है, भुगतान करने में लगातार जानबूझकर चूक की है; या

(ii) कि इसके प्रबंधन ने कॉलेज के शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक योग्यता रखने वाले शिक्षण कर्मचारियों को नियुक्त करने में विफलता दिखाई है, या क़ानून या अध्यादेशों के उल्लंघन में किसी शिक्षक को नियुक्त किया है या सेवा में बनाए रखा है। 1[या

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहा है]; या

(iii) कि कॉलेज के प्रबंधन के कानूनी पदाधिकारी होने का दावा करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के बीच किसी भी विवाद ने कॉलेज के सुचारु और व्यवस्थित प्रशासन को प्रभावित किया है; या

(iv) कि इसके प्रबंधन ने कॉलेज को पर्याप्त और उचित आवास, पुस्तकालय, फर्नीचर, स्टेशनरी, प्रयोगशाला, उपकरण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने में लगातार विफलता दिखाई है, जो कॉलेज के कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक हैं; या

(v) कि इसके प्रबंधन ने कॉलेज को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से कॉलेज की संपत्ति को काफी हद तक इधर-उधर किया है, गलत इस्तेमाल किया है या हड़प लिया है;

यह प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है कि धारा 58 के तहत आदेश क्यों न पारित किया जाए:

शर्त यह है कि यदि प्रबंधन के पदाधिकारियों को लेकर विवाद हो, तो ऐसा नोटिस उन सभी व्यक्तियों को जारी किया जाएगा जो पदाधिकारी होने का दावा करते हैं।

58. प्राधिकृत नियंत्रक.- (1) यदि धारा 57 के अधीन प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि उस धारा में वर्णित कोई आधार विद्यमान है, तो वह आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को (जिसे इसके पश्चात प्राधिकृत नियंत्रक कहा जाएगा) दो वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो विनिर्दिष्ट की जाए, प्रबंधन को अपवर्जित करते हुए कॉलेज और उसकी संपत्ति का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के लिए प्राधिकृत कर सकती है और जब भी अधिकृत नियंत्रक प्रबंधन अपने हाथ में लेता है, तो राज्य सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों के अधीन रहते हुए, उसे कॉलेज और उसकी संपत्ति के प्रबंधन के संबंध में वे सभी शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त होंगे जो प्रबंधन के पास तब होते यदि कॉलेज और उसकी संपत्ति को इस उप-धारा के तहत अपने हाथ में न लिया गया होता:

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बशर्ते कि यदि राज्य सरकार को लगता है कि कॉलेजों और उनकी संपत्ति का उचित प्रबंधन जारी रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह समय-समय पर आदेश की अवधि को बढ़ा सकती है, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, जैसा कि वह निर्दिष्ट करे, बशर्ते कि आदेश की कुल अवधि, जिसमें इस उप-धारा के तहत प्रारंभिक आदेश में निर्दिष्ट अवधि शामिल है, [पांच वर्ष] से अधिक न हो।

2[बशर्ते कि यदि उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, कॉलेज का कोई कानूनी रूप से गठित प्रबंधन नहीं है, तो अधिकृत नियंत्रक तब तक कार्य करता रहेगा, जब तक राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि प्रबंधन कानूनी रूप से गठित हो गया है:

यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकार किसी भी समय इस उप-धारा के तहत किए गए आदेश को रद्द कर सकती है।]

(2) यदि धारा 57 के तहत नोटिस जारी करते समय राज्य सरकार की यह राय है, और उसे इसके कारण भी दर्ज करने होंगे, कि कॉलेज के हित में तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो वह प्रबंधन को निलंबित कर सकती है, जिसके बाद वह कार्य करना बंद कर देगा, और कॉलेज के मामलों और उसकी संपत्ति के प्रबंधन के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकती है जो वह उचित समझे, जब तक कि आगे की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती:

शर्त यह है कि ऐसा कोई भी आदेश, उस आदेश के अनुसरण में प्रबंधन का वास्तविक कार्यभार संभालने की तारीख से छह महीने से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगा:

इसके अतिरिक्त, उक्त छह महीने की अवधि की गणना में, उस समय को बाहर रखा जाएगा जिसके दौरान हाई कोर्ट द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आदेश के संचालन को निलंबित किया गया था, या वह अवधि जिसके दौरान प्रबंधन धारा 57 के तहत नोटिस के अनुसरण में कारण बताने में विफल रहा।

(3) उप-धारा (1) में दी गई कोई भी बात अधिकृत नियंत्रक को कॉलेज की अचल संपत्ति बेचने या हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं देती है (सामान्य प्रबंधन के तहत महीने-दर-महीने किराए पर देने या उस पर कोई चार्ज लगाने के अलावा), सिवाय इसके कि यदि राज्य सरकार या भारत सरकार से अनुदान पाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(4) इस धारा के अंतर्गत पारित कोई भी आदेश, किसी अन्य अधिनियम या कॉलेज या उसकी संपत्ति के प्रबंधन और नियंत्रण से संबंधित किसी भी दस्तावेज़ में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होगा:

शर्त यह है कि कॉलेज की संपत्ति और उससे होने वाली किसी भी आय का उपयोग कॉलेज के उद्देश्यों के लिए ही किया जाता रहेगा, जैसा कि ऐसे किसी दस्तावेज़ में प्रावधान किया गया है।

(5) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) अधिकृत नियंत्रक को कॉलेज या उसकी संपत्ति के उचित प्रबंधन के लिए आवश्यक निर्देश दे सकते हैं, और अधिकृत नियंत्रक उन निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।"

13. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व संबंधित विभाग के प्रधान सचिव कर सकते हैं। विशेष सचिव के पास ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। प्रबंध समिति को हटाने या अधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने के लिए, राज्य का इस बात से संतुष्ट होना आवश्यक है कि प्रबंधन ने कॉलेज की संपत्ति का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग या गबन किया है और कॉलेज के अस्तित्व को खतरे में डाला है। हालाँकि, चूँकि महत्वपूर्ण दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए, इसलिए रिपोर्ट या नोटिस के विरुद्ध कोई विशिष्ट उत्तर दायर नहीं किया गया। कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के छद्म प्रयोग के तहत कार्यवाही पूरी तरह से एकतरफा संचालित की गई, इसलिए प्रतिवादियों ने निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया है।

14. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने संभल के जिलाधिकारी द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति को संबोधित 02.04.2025 के उपरोक्त पत्र का संदर्भ दिया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि चंदौसी के श्याम सुंदर मेमोरियल कॉलेज की कुछ ज़मीन विभिन्न व्यक्तियों को बेची गई थी, हालाँकि, उक्त लेनदेन के संबंध में एक स्पष्टीकरण है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को कोई अवसर नहीं दिया गया।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



15. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि उक्त जांच रिपोर्ट में और अधिक गहन जांच की आवश्यकता थी, तथापि, प्रतिवादियों ने स्वतंत्र दिमाग का प्रयोग किए बिना और इस बात पर विचार किए बिना कि पूर्व में समान आरोपों पर ऑडिट किया गया था लेकिन कोई वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गई थी, उक्त रिपोर्ट का पूरी तरह से पालन किया। उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा 17.06.2025 को पारित आदेश का संदर्भ दिया गया।

16. इसके विपरीत, प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संजीव सिंह, विद्वान स्थायी वकील श्री सौरभ और विद्वान अधिवक्ता सर्वश्री प्रशांत माथुर व जी.के. यादव ने आक्षेपित आदेश का जोरदार समर्थन किया कि राज्य सरकार ने 1973 के अधिनियम की धारा 57 के तहत नोटिस जारी किया और उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत अधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया।

17. याचिकाकर्ताओं ने जांच के दौरान सहयोग नहीं किया है, ऑडिट दल को ऑडिट करने से रोका है, और टीम को संबंधित कॉलेज के परिसर में दाखिल होने से मना किया है, जो उक्त अधिनियम के तहत राज्य के अधिकारियों के काम में बाधा डालना है।

18. ज़िलाधिकारी, संभल ने राजस्व अभिलेखों के आधार पर दिनांक 02.04.2025 की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना, भूमि के एक टुकड़े का स्वामित्व श्याम सुंदर मेमोरियल कॉलेज, चंदौसी से श्याम सुंदर मेमोरियल कॉलेज सोसाइटी, चंदौसी में स्थानांतरित कर दिया गया और कई व्यक्तियों को बेच दिया गया। कुल भूमि का क्षेत्रफल लगभग 68 बीघा (4.482 हेक्टेयर) था। संबंधित कॉलेज के स्वामित्व वाली संपत्ति को अवैध रूप से श्याम सुंदर मेमोरियल कॉलेज सोसाइटी, चंदौसी नामक सोसाइटी को हस्तांतरित कर दिया गया और बाद में बेच दिया गया, जो एक अधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने का कारण है। अधिनियम की धारा 57(v) के अनुसार, यदि प्रबंधन ने कॉलेज की संपत्ति का पर्याप्त रूप से दुरुपयोग, कुप्रबंधन या गबन किया है जिससे उसे नुकसान पहुँचा है, और कारण बताओ नोटिस का जवाब देने में विफल रहा है, तो एक अधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जा सकता है।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



19. विद्वान अपर महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की इस दलील का पुरजोर विरोध किया है कि राज्य का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव के माध्यम से नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया है कि यह याचिकाकर्ताओं की ओर से पूर्ण असहयोग का मामला है।

20. मैंने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

21. याचिकाकर्ता श्याम सुंदर मेमोरियल कॉलेज सोसाइटी, चंदौसी के कॉलेज हैं और उनका अपने कर्मचारियों के साथ विवाद चल रहा है, और पहले भी कई मुकदमे इस न्यायालय में आ चुके हैं। इनमें से एक मुकदमा, रिट ए संख्या 6959/2025 के साथ रिट ए संख्या 856/2025 और 324/2026, इस न्यायालय द्वारा 11.02.2026 के निर्णय के माध्यम से तय किया गया था और संदर्भ के लिए, निर्णय का प्रासंगिक हिस्सा नीचे उद्धृत किया गया है:-

“16. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

17. जहाँ तक उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने का प्रश्न है, न्यायालय का विचार है कि यह आदेश गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के कुलसचिव के आदेशों को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया था, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 (शिकायतकर्ता) के निलंबन और बर्खास्तगी के आदेशों को पहले ही शुरुआत से ही शून्य घोषित कर दिया गया था, इसलिए, इसका प्रभाव केवल उक्त आदेश का अनुपालन करना होगा।

18. इसके अलावा, चूंकि शिकायतकर्ता को पहले ही राहत मिल चुकी थी, इसलिए उ.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा पारित आदेश का पालन करने के अलावा कोई कानूनी महत्व नहीं है। अदालत 2013:AHC-LKO:16800 का भी संज्ञान लेती है। तथापि, जैसा

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उ.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा पारित आदेश का कोई कानूनी महत्व नहीं है, विशेष रूप से तब जब शिकायत पहले ही दूर की जा चुकी थी, इसलिए क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, रिट याचिका संख्या 324/2026 का निपटारा रिट याचिका संख्या 6959/2025 के परिणाम के अधीन किया जाता है, जिसमें शिकायतकर्ता (प्रतिवादी संख्या 7) के संबंध में गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद के रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है।

19. जहाँ तक अन्य दो रिट याचिकाओं का संबंध है, प्रबंधन समिति की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा इस बात पर विवाद नहीं किया गया है कि वर्तमान में गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद के कुलपति को कुलसचिव के माध्यम से उपरोक्त तीन प्रतिवादियों को हटाने के प्रस्ताव पर विचार करने का क्षेत्राधिकार है।

20. यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2024 आधिकारिक राजपत्र में 13.8.2024 को प्रकाशित हुआ था, इसलिए गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद उसी दिन अस्तित्व में आया। इसके बाद, रोहिलखंड विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है।

21. जहाँ तक परिसीमन का संबंध है, चूँकि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसके लिए बाद में अधिसूचनाएँ और आदेश जारी किए गए थे, लेकिन याचिकाकर्ता का कॉलेज पहले से ही गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद से संबद्ध था।

22. वैसे भी, आज की तारीख में निर्विवाद रूप से गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद के वाइस चांसलर को, रजिस्ट्रार के माध्यम से, याचिकाकर्ता के कॉलेज द्वारा अपने शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्तावों पर आदेश पारित करने का अधिकार है।

23. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने जांच रिपोर्ट और प्रबंधन समिति के प्रस्ताव का अध्ययन किया है, और यह भी देखा है कि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं।

24. निर्विवाद रूप से, कोई दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था, अर्थात् जांच रिपोर्ट के साथ कारण बताओ नोटिस संबंधित दोषियों को कभी नहीं दिया गया, जो

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बर्खास्तगी के आदेश से स्पष्ट है। इसलिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सारतः पालन नहीं किया गया और तदनुसार उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, इसलिए, तीनों निजी प्रतिवादियों के खिलाफ पारित बर्खास्तगी का आदेश कानूनन गलत था। तदनुसार, आक्षेपित आदेशों में कोई अवैधता नहीं है, जिसके द्वारा ऐसे आदेशों को शुरू से ही शून्य माना गया था।

25. न्यायालय ने इस बात पर भी संज्ञान लिया है कि आज एकल संचालन (सिंगल ऑपरेशन) का आदेश है। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद के रजिस्ट्रार का यह निर्देश कि प्रबंधन समिति के खिलाफ जांच लंबित रहने तक, छात्रों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों या शिक्षण कर्मचारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए, न्यायालय का मानना है कि यह एक दूरगामी प्रभाव वाला आदेश है। अतः, यदि याचिकाकर्ताओं के सहयोग से आज से तीन सप्ताह के भीतर प्रस्तावित जांच पूरी नहीं होती है, तो आदेश का उक्त भाग निष्प्रभावी हो जाएगा, जो कानून के अनुसार जांच के परिणाम के अधीन होगा।

26. तदनुसार, सभी रिट याचिकाएं निस्तारित की जाती हैं।"

22. इस बात पर ज्यादा विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता कॉलेज पहले रुहेलखंड विश्वविद्यालय से और अब गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से संबद्ध है, इसलिए, 1973 के अधिनियम के अध्याय-XI (डिग्री कॉलेजों के नियमन) के प्रावधान पूरी तरह लागू होंगे। इसलिए, धारा 59 के तहत मिली शक्तियों के तहत राज्य द्वारा नोटिस जारी करने में कोई अवैधता नहीं है।

23. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ताओं ने ऑडिट निरीक्षण से परहेज किया है और उन्होंने टीम को ऑडिट करने से रोका और संबंधित कॉलेज में प्रवेश से इनकार कर दिया, और बाद में, एक नोटिस जारी कर कारण पूछा गया कि अधिनियम, 1973 की धारा 58(1) के तहत अधिकृत नियंत्रक क्यों न नियुक्त किया जाए। याचिकाकर्ताओं ने उक्त नोटिस का 15.11.2025 को जवाब प्रस्तुत किया है। जवाब का प्रासंगिक हिस्सा पिछले पैराग्राफ में

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उद्धृत किया गया है कि ज़िलाधिकारी, संभल द्वारा 02.04.2025 को प्रस्तुत रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत थी, और यह भी कि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया है कि ज़मीन का कुछ हिस्सा सोसाइटी को और आगे निजी व्यक्तियों को बेचा गया था।

24. राज्य सरकार द्वारा उक्त उत्तर पर विचार किया गया, किंतु वह उठाए गए प्रश्नों का तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं पाया गया, अतः राज्य ने 14.01.2026 को आदेश पारित कर प्रबंधन समिति को अधिक्रमित कर दिया और अधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति का आदेश दिया। इसलिए, न्यायालय का मानना है कि अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं है।

25. अब न्यायालय इस बात की जांच करेगा कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया जवाब उन विशिष्ट प्रश्नों का पर्याप्त स्पष्टीकरण था, जो संबंधित कॉलेज की संपत्ति के विपथन (डायवर्जन) और गबन के आरोपों के संबंध में उठाए गए थे। केवल इस आधार पर कि भूमि संबंधित सोसाइटी को हस्तांतरित कर दी गई थी और अन्य व्यक्तियों को बेच दी गई थी, यह अपने आप में पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं है कि कॉलेज को बनाए रखने के लिए कॉलेज की संपत्ति को कानूनी रूप से विपथित (डायवर्ट) किया गया था। जिलाधिकारी की 02.04.2025 की रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि सोसाइटी के कृत्यों की गहरी जांच की आवश्यकता है ताकि कॉलेज की संपत्ति का और गबन न हो। अतः, यथास्थिति बनाए रखने और याचिकाकर्ताओं को कॉलेज की जमीन निजी लोगों को डायवर्ट करने से रोकने के लिए, आक्षेपित आदेश पारित किया गया, जो जरूरी था और इसलिए जायज भी है।

26. आक्षेपित आदेश में कहा गया है कि यह एक साल की अवधि के लिए है और साथ ही यह निर्देश भी दिया गया है कि इस बीच नए चुनाव कराए जाएं।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



27. न्यायालय ने आगे यह भी पाया कि आक्षेपित आदेश में एक और निर्देश छूट गया है कि एक नई और गहन जांच आवश्यक है, जिसमें ऑडिट निरीक्षण भी शामिल है, जो पहले नहीं किया गया था क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने टीम को परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया था।

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



28. इसलिए, आक्षेपित आदेश में कोई बदलाव किए बिना—क्योंकि 1973 अधिनियम की धारा 57 और 58 में बताई गई प्रक्रिया का पालन किया गया था और यह माना गया है कि कॉलेज की कुछ संपत्तियों का इस्तेमाल दूसरे कामों में किया गया था और ऑडिट जांच की अनुमति नहीं दी गई थी—रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि दो महीने के भीतर ऑडिट जांच की जाए और याचिकाकर्ताओं को यह बताने का मौका दिया जाए कि किन हालात में उन्होंने निजी प्रतिवादियों को ज़मीन बेची थी। इसके बाद, चार महीने के भीतर आक्षेपित आदेश की समीक्षा की जाए कि क्या इसे वापस लिया जाए या आगे बढ़ाया जाए।

(माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी)

मार्च 18, 2026

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”